

(9)

अनुस्मारक पत्र

शासन से संबंधित / महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/अर्थदण्ड

पत्र सं०- जनसूचना-शासन-अधिरोपित अर्थदण्ड वसूली/2019-20 /
प्रेषक,

232

/ वाणिज्य कर

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद ।

(जनसूचना अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ::

16 जुलाई, 2020

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या- 60 दिनांक 03.06.2020 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या- 148 दिनांक 02.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 5507 दिनांक 20.03.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री ऋषि भूषण पाठक, तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, संभल (शिकायत संख्या- एस-9/2434/ए/2017) तथा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद (शिकायत संख्या- एस-9/2461/ए/2016) पर तैनाती के दौरान मा० राज्य सूचना आयोग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा इन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया था । उक्त प्रकरणों में अर्थदण्ड की वसूली आपके स्तर से अपेक्षित है । किन्तु आपके द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

अतः उक्त दोनों प्रकरणों पर आरोपित अर्थदण्ड की वसूली की अद्यतन सूचना तथा अन्य कोई प्रकरण जिस पर आरोपित अर्थदण्ड की वसूली अपेक्षित हो की अद्यतन स्थिति पर अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अविलम्ब निर्धारित प्रारूप में मेल ctpihqlu-up@gov.in उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पी०एन०यादव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी

वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ

पृ० संख्या व दिनांक ।

प्रतिलिपि :- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ